डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

किसान कल्याण वर्ष-2026
समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक
प्रकाशन दिनांक 1 मार्च, 2026, डिस्पेच दिनांक 1 मार्च, 2026

| वर्ष 69 | अंक 19 | भोपाल | 1 मार्च, 2026 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

नवाचार और तकनीक से मध्यप्रदेश को बनाया जायेगा अग्रणी कृषि राज्य : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

ड्रोन, एआई, स्मार्ट सिंचाई और डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा

मुख्यमंत्री से युवा किसान और कृषि क्षेत्र से जुड़े युवा प्रतिनिधियों ने किया संवाद

प्रगतिशील किसानों को किया गया सम्मानित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव "किसान कल्याण की बात युवाओं के साथ" कार्यक्रम में हुए शामिल

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि युवा, कृषि क्षेत्र में नवाचार और तकनीक के साथ आगे आएंगे तो मध्यप्रदेश न केवल खाद्यान्न उत्पादन में बल्कि कृषि आधारित उद्योगों, जैविक उत्पादों और एग्री-एक्सपोर्ट में भी देश में अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को इंदौर के बास्केटबाल कॉम्पलेक्स में एक निजी मीडिया संस्थान द्वारा आयोजित "किसान कल्याण की बात युवाओं के साथ" कार्यक्रम में रूबरू हुए। साथ ही युवाओं और विशेषज्ञ किसानों से संवाद किया। कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में युवाओं की भूमिका को सशक्त बनाना, किसान कल्याण की नीतियों पर संवाद स्थापित करना, आधुनिक खेती और तकनीक को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा, किसान, कृषि वैज्ञानिक एवं उद्यमी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संवाद कार्यक्रम में प्रश्नों के जवाब में कहा कि मध्यप्रदेश कृषि के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है और राज्य को देश का अग्रणी कृषि राज्य बनाने की दिशा में सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। यह वर्ष कृषि और किसानों को समर्पित कर किसान कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है।

कार्यक्रम में युवा किसान और कृषि क्षेत्र से जुड़े युवा प्रतिनिधियों ने कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर मुख्यमंत्री से सीधे संवाद भी किया। इस दौरान रोबोट द्वारा भी मुख्यमंत्री जी से कृषि विकास को लेकर प्रश्न किया गया। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने युवाओं से कहा कि यदि वे नई तकनीक, ड्रोन, जैविक खेती, फूड प्रोसेसिंग और कृषि आधारित उद्योगों से जुड़ेंगे, तो न केवल अपनी आय बढ़ा सकेंगे बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कृषि में युवाओं की भागीदारी से उत्पादन, गुणवत्ता और निर्यात में वृद्धि संभव है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों और युवाओं के हित में विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है, जिनका लाभ लेकर युवा आत्मनिर्भर बन सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नई तकनीकों—जैसे ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कृषि प्रबंधन, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से कृषि को आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। भावांतर योजना के तहत किसानों को समर्थन मूल्य के अंतर की राशि प्रदाय की जा रही है। सरकार द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सब्सिडी योजनाएं तथा किसान उत्पादक संगठनों को सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिल सकें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी, कृषि यंत्रीकरण, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और निर्यात को बढ़ावा देने जैसे कदम उठा रही है। प्रदेश ने गेहूं, सोयाबीन, चना और अन्य फसलों के उत्पादन में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने बताया कि सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, नर्मदा परियोजनाओं के माध्यम से जल उपलब्धता बढ़ाने, माइक्रो इरिगेशन को प्रोत्साहन, जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा फसल विविधीकरण जैसी पहलों से किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में बिजली की सरप्लस उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। किसानों को 24 घंटे बिजली प्रदाय की जा रही है। सोलर पंप पर सब्सिडी दी जा रही है, जिससे प्रदेश में लगातार सिंचाई के रकबे में वृद्धि हो रही है। आज मध्यप्रदेश में सिंचाई का रकबा 55 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है, जिसे वर्ष 2028 तक 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि कृषि अब केवल जीविकोपार्जन का साधन नहीं, बल्कि नवाचार, स्टार्टअप और मूल्य संवर्धन के माध्यम से आर्थिक समृद्धि का मजबूत आधार बन रही है। आज कृषि केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आधुनिक तकनीक, नवाचार और स्टार्टअप के माध्यम से तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है।

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आधुनिक एवं नवाचार आधारित खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों का सम्मान भी किया। प्रारंभ में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने फीता काटकर "किसान कल्याण की बात युवाओं के साथ" कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम स्थल पर युवाओं द्वारा लगायी गई कृषि आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और सराहना की।

इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, सांसद श्री शंकर लालवानी, विधायक श्री राकेश गोलू शुक्ला, श्री रमेश मेंदोला, श्रीमती मालिनी गौड़ और श्री महेन्द्र हार्डिया, श्री सुमित मिश्रा सहित संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े, पुलिस आयुक्त श्री संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर श्री शिवम वर्मा, आयोजक श्री राजेश राठौर श्री राज राठौर भी मौजूद थे।

गांधीनगर में सहकारिता मंथन : विकसित भारत 2047 के लिए सहकारिता बनेगी विकास का आधार

नई दिल्ली, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 'सहकार से समृद्धि' के अंतर्गत सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ मंथन बैठक की अध्यक्षता की। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 'मंथन बैठक' में इथेनॉल, एनर्जी, जैविक पोटाश, वेयरहाउस व प्रोटीन पाउडर प्लांट संबंधी ☐265 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत टैक्सी के सारथियों के साथ संवाद किया

- श्रम करने वालों की मुनाफे में भी हिस्सेदारी का नाम है सहकारिता
- 'भारत टैक्सी' का उद्देश्य 'सारथी' को कंपनी के मुनाफे का मालिक बनाना है
- भारत टैक्सी सिर्फ एक Taxi योजना नहीं, चालक भाइयों-बहनों को सम्मान से 'सारथी' बनाने की पहल है
- यह 'सारथी' शब्द अब सम्मान, स्वाभिमान का प्रतीक बनेगा
- 'भारत टैक्सी', कस्टमर और सारथी, दोनों में डिसिप्लिन लाकर सिविक सेंस को बढ़ावा देने का काम करेगी
- टैक्सी कम्पनियों द्वारा कमीशन कम करना, यात्रियों को डिस्काउंट देना, 'भारत टैक्सी' की शक्ति का ही असर है, जिसका लक्ष्य चालकों, यात्रियों की सुविधा नहीं, अपने आप को बाजार में बनाए रखना है
- भारत टैक्सी, सारथियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान का रास्ता तैयार करेगी
- 'भारत टैक्सी' के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सारथियों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं
- आने वाले तीन वर्षों में देश के प्रत्येक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 'भारत टैक्सी' होगी
- 'भारत टैक्सी' सारथियों को शेयर देकर मालिक बनाने के साथ-साथ उसका बीमा और आसान लोन उपलब्ध कराने वाली पहली टैक्सी सर्विस बनेगी
- सारथियों को हर जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराकर दुनिया की सबसे पारदर्शी कैब सर्विस बनेगी 'भारत टैक्सी'
- 'भारत टैक्सी' की 'सारथी दीदी' सुविधा, महिला सारथियों को स्वावलंबी बनाएगी और महिला यात्रियों व सारथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी
- 'भारत टैक्सी' में शिकायत विंडो के माध्यम से सारथियों की सभी चिंताओं का समाधान होगा

नई दिल्ली, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत टैक्सी के सारथियों के साथ संवाद किया।संवाद के दौरान केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि जो श्रम कर रहा है, उसे ही मुनाफा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य टैक्सी के मालिक को धनी बनाना है और सारथी ही मालिक हैं। श्री शाह ने कहा कि सारथी भारत टैक्सी के मालिक हैं और मुनाफे में भी उनका हिस्सा होगा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि आने वाले तीन वर्षों में देश के प्रत्येक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 'भारत टैक्सी' होगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि भारत टैक्सी को देश की पांच बड़ी कोऑपरेटिव्स को मिलाकर खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि अब जैसे-जैसे सारथियों की संख्या बढ़ती जाएगी और जो भी सारथी इसमें पार्टनर बननाचाहेगा उसे 500 रूपए के शेयर लेने पर मालिकाना हक मिल जाएगा। श्री शाह ने कहा कि जब भारत टैक्सी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव होगा, तब इसमें कुछ स्थान सारथियों के लिए भी आरक्षित रखे जाएंगे। जब सारथी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ जाएंगे तब वे स्वयं अन्य सारथियों के सभी हितों की रक्षा और चिंता करेंगे।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य किसी निजी कंपनी की तरह बड़ा मुनाफा कमाना नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य हमारे सारथी भाइयों को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी के शेयर सारथियों के पास हैं और मालिक भी सारथी ही हैं, इसीलिए भारत टैक्सी की नीतियां भी सारथी ही बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी सारथियों की अपनी कंपनी है और इसमें सहकार करना ही हमारा सिद्धांत होना चाहिए। भारत टैक्सी सारथियों की क्षमता का दोहन करेगी न कि उनका शोषण करेगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि भारत टैक्सी की कुल कमाई में से बीस प्रतिशत भारत टैक्सी के अकाउंट में सारथियों की पूंजी के रूप में जमा हो जाएगा और अस्सी प्रतिशत पैसा टैक्सी कितने किलोमीटर चली है, उसके अनुसार वापस सारथियों के खाते में जाएगा। श्री शाह ने कहा कि शुरूआती 3 साल भारत टैक्सी के विस्तार में जाएंगे और उसके बाद जितना भी मुनाफा होगा, उसका बीस प्रतिशत भारत टैक्सी में रहेगा और अस्सी प्रतिशत सारथी भाइयों को वापस दे दिया जाएगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत टैक्सी की शुरूआत एक बड़ा कोऑपरेटिव आंदोलन है। उन्होंने कहा कि इसके तहत भारत टैक्सी सारथियों की टैक्सी को मॉर्गेज (Mortgage) करेगी और भारत टैक्सी ही उन्हें कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से कर्ज दिलाएगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि भारत टैक्सी में कुछ भी छिपा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सारथियों को हर जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराकर 'भारत टैक्सी' दुनिया की सबसे पारदर्शी कैब सर्विस बनेगी। भारत टैक्सी में सारथियों की मिनिमम वायबिलिटी पर किलोमीटर की दर की एक बेस लाइन बनाकर काम होगा। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी में ऑटो के मूल्य, पेट्रोल की खपत और मिनिमम मुनाफे को मिलाकर एक बेस रेट होगा और इससे नीचे यह ऑपरेट नहीं करेगी। श्री शाह ने

कहा कि भारत टैक्सी का लक्ष्य मुनाफा कमाना नहीं है क्योंकि सारथी ही इस कोऑपरेटिव का मालिक है।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि भारत टैक्सी में सारथी दीदी की कल्पना की गई है। भारत टैक्सी' की 'सारथी दीदी' सुविधा, महिला सारथियों को स्वावलंबी बनाएगी और महिला यात्रियों व सारथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत टैक्सी ऐप में सारथी दीदी के नाम से प्रावधान किए जाएंगे कि जब भी अकेली महिला यात्री होगी, तो वह स्वाभाविक रूप से सारथी दीदी को प्राथमिकता देगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि भारत टैक्सी की वेबसाइट पर सारथियों की तकलीफों के लिए एक विंडो खोली जाएगी जिस पर मोबाइल नंबर से लॉग-इन कर वे अपनी सारी समस्याएं बता सकेंगे और उनके आधार पर हम नीति को संशोधित कर सकेंगे। जिस प्रकार भारत टैक्सी सारथियों की समस्याओं का निवारण करेगी, उसी प्रकार बाकी टैक्सी कंपनियों को भी यह करना पड़ेगा। श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का लक्ष्य ग्राहक को खुश करने के साथ-साथ सारथी का भी कल्याण करना होना चाहिए। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि सारथियों को अपने आप को कभी ड्राइवर नहीं कहना चाहिए बल्कि गर्व के साथ स्वयं को सारथी कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सम्मान के साथ इस भाव को सारथियों के मन में लाना ही भारत टैक्सी की जिम्मेदारी है। भारत टैक्सी सुधार की सभी संभावनाओं को तलाशेगी और आगे बढ़ने पर हर समस्या का समाधान भी हो जाएगा। श्री शाह ने यह भी कहा कि समाज में सारथी को देखने का नजरिया किस प्रकार बदले, यह सारथियों की भी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए।

श्री अमित शाह ने कहा कि टैक्सी क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनका निवारण एक पद्धति विकसित करने से ही आ सकता है। उन्होंने कहा कि अभी जो कंपनियां अस्तित्व में हैं, उनका उद्देश्य सारथियों का कल्याण नहीं है। श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य सारथियों का कल्याण भी है और ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार करना भी है। उन्होंने कहा कि सारथियों के साथ संवाद और उनकी तकलीफें सुनने का भारत टैक्सी का कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा और सारथियों के साथ ऑनलाइन, फिजिकल और कॉल सेंटर के माध्यम से संवाद जारी होगा।

किसानों को लाभान्वित करने हम खेत से बाज़ार तक तैयार कर रहे पूरी श्रृंखला : मुख्यमंत्री

कृषि में शोध बढ़ायेंगे, मंडी निर्यात नीति भी लायेंगे

सरसों को भी लायेंगे भावांतर के योजना में

दलहन-तिलहन, औषधीय और मसाला फसलों का भी बढ़ा रहे उत्पादन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वीसी से ग्वालियर के कृषि मंथन में कृषि वैज्ञानिकों को दिया संदेश

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसान हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ हैं। इनके अथक परिश्रम से ही हमारे बाजार गुलजार है। हम वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। यह वर्ष प्रदेश के इतिहास में किसानों के हित और समग्र कल्याण के मामले में मील का पत्थर साबित होगा।उन्होंने कहा कि यह वर्ष 'खेत से लेकर कारखाने तक और बाग से लेकर बाजार तक' की पूरी मूल्य संवर्धन श्रृंखला को एक सूत्र में जोड़ेगा। इस वर्ष हम कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और इनमें वैल्यू एडिशन के लिए अधिकाधिक रोजगार आधारित उद्योगों के विकास, उन्नत किस्म के बीजोत्पादन, पशुपालन, दुग्धोत्पादन, मत्स्योत्पादन में वृद्धि सहित हर वो कदम उठाएंगे, जिनसे खेती और अन्नदाताओं का विकास हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास से कृषि विश्वविद्यालय परिसर, ग्वालियर में हो रहे 'कृषि मंथन एवं कृषि प्रौद्योगिकी मेला 2026' को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना संबंधी कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में तेज़ी से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। हमारी सरकार प्रदेश में औषधीय और मसाला फसलों का उत्पादन बढ़ाने के सभी प्रयास कर रही है। हम जल्द ही कृषि उत्पादन निर्यात नीति लाने वाले हैं। हम कृषि में शोध कार्य भी बढ़ायेंगे। उन्होंने कहा कि हम खेती-किसानी और फल-फूलों की खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए कोई कसर नहीं रखेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस कृषि मंथन से जो अमृत निकलेगा, वह हमें किसानो के कल्याण के लिये प्रभावी और कारगर कदम उठाने में सहायक होगा। 'कृषि मंथन' राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) नई दिल्ली और कृषि विभाग, म.प्र. शासन के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि "समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश" की थीम पर हो रहा कृषि मंथन निश्चित ही किसानों को खेती में जरूरी सुधार और बदलाव लाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आधुनिक कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्रों में मूल्य-श्रृंखला विकास, प्रोसेसिंग, तकनीक अपनाने और ग्रामीण युवाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देकर व्यापक रोजगार सृजन करने पर फोकस कर रही है। तकनीकी नवाचार, विविधीकरण और नीतिगत समर्थन से इन क्षेत्रों में न केवल उत्पादकता बढ़ाई जा सकेगी, बल्कि विपणन एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में बाजार अनुरूप लाभकारी व्यवस्था कृषकों के लिए निर्मित होगी। हम कृषि के अलावा उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं सहकारिता क्षेत्र में भी नई सोच से आगे बढ़ रहे है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज कृषि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते जोखिमों का सामना कर रही है। इस मंथन में देश के विभिन्न कृषि संस्थानों के वरिष्ठ वैज्ञानिक विचार मंथन कर नई तकनीकों के विकास की राह प्रशस्त करेंगे।

वीडियो कॉंफ्रेंसिंग में सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग श्री निशांत वरवड़े, सचिव परिवहन एवं आयुक्त जनसम्पर्क श्री मनीष सिंह ने भोपाल से सहभागिता की।

मध्यप्रदेश कृषि उत्पादन में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

खाद्यान्न, दलहन और तिलहन उत्पादन में अग्रणी स्थान

भोपाल :मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश ने कृषि उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए देश के प्रमुख उत्पादक राज्यों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज की है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य खाद्यान्न, दलहन तथ तिलहन फसलों के उत्पादन में शीर्ष तीन राज्यों में शामिल रहा है। मध्यप्रदेश ने कुल खाद्यान्न उत्पादन में 46.63 मिलियन टन उत्पादन के साथ देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जो राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 13.04 प्रतिशत है। राज्य कुल दलहन फसल उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर हैं। तिलहन फसलों के उत्पादन में देश में दूसरा स्थान हासिल किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कृषकों की आय को बढ़ाने एवं उनके समग्र कल्याण के उद्देश्य से वर्ष 2026 को "किसान कल्याण वर्ष" के रूप में मनाया जा रहा है।

कुल खाद्यान्न उत्पादन में देश में दूसरा स्थान

गेहूं उत्पादन में राज्य ने 24.51 मिलियन टन उत्पादन किया और लगभग 20.78 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ देश में दूसरा स्थान हासिल किया। राज्य मक्का उत्पादन में भी अग्रणी रहा, 6.64 मिलियन टन उत्पादन के साथ मध्यप्रदेश का राष्ट्रीय हिस्सेदारी में लगभग 15.30 प्रतिशत योगदान रहा, जिससे यह देश का प्रमुख उत्पादक राज्य बना। मोटे अनाज (न्यूट्री/कोर्स सीरियल्स) के उत्पादन में भी राज्य ने 7.78 मिलियन टन उत्पादन करते हुए लगभग 12.17 प्रतिशत हिस्सेदारी दर्ज की और देश में तृतीय स्थान हासिल किया।

कुल दलहन उत्पादन शीर्ष स्थान बरक़रार

दलहन क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल दलहन उत्पादन में 5.24 मिलियन टन उत्पादन किया और 20.40 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ देश में पहला स्थान प्राप्त किया। चना उत्पादन में राज्य 2.11 मिलियन टन उत्पादन और लगभग 19.01 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ शीर्ष तीन राज्यों में दूसरे स्थान पर रहा।

तिलहन फसलों के उत्पादन में देश में अग्रणी राज्य

तिलहन क्षेत्र में भी राज्य की स्थिति मजबूत रही। कुल तिलहन उत्पादन में मध्यप्रदेश ने 8.25 मिलियन टन उत्पादन करते हुए लगभग 19.19 प्रतिशत राष्ट्रीय हिस्सेदारी दर्ज की एवं देश से दूसरा स्थान हासिल किया। विशेष रूप से सोयाबीन उत्पादन में राज्य ने 5.38 मिलियन टन उत्पादन किया, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 35.27 प्रतिशत है और इसे देश के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यों में स्थापित करता है। राज्य में मूंगफली का उत्पादन 1.55 मिलियन टन रहा जो कि देश के कुल उत्पादन का 12.99 प्रतिशत रहा। मूंगफली उत्पादन में राज्य देश में तीसरे स्थान पर है।

मध्यप्रदेश में केंद्र एवं राज्य सरकार की कृषि विकास योजनाओं रासायनिक उर्वरकों का वितरण, पौध संरक्षण कार्यक्रम, मांग आधारित कृषि के लिए फसलों का विविधीकरण, एक जिला-एक उत्पाद योजना, मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन, कृषि उत्पादक संगठनों का गठन एवं संवर्धन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, भावांतर भुगतान, रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना आदि का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया। परिणामस्वरूप राज्य को कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। कुल उत्पादन में वृद्धि हुई है। कृषि आधारित नीतियों के परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश देश की कृषि अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में स्थापित है।

श्योपुर में नाबार्ड प्रायोजित सॉफ्टकॉब प्रशिक्षण बी-पैक्स प्रबंधकों को कर अनुपालन एवं सहकारिता नीति पर मिला व्यापक मार्गदर्शन

भोपाल। नाबार्ड प्रायोजित तथा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव के तत्वावधान में एक दिवसीय सॉफ्टकॉब प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पर्यटन भवन, श्योपुर के सभागार में किया गया।कार्यक्रम का शुभारंभ चंबल संभाग की संयुक्त आयुक्त सहकारिता सुश्री अनिता उइके के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर प्रभारी सहायक आयुक्त, श्योपुर श्री भास्कर शर्मा तथाजिला सहकारी केंद्रीय बैंकश्योपुरकेसीईओ श्री श्यामवीर गुर्जर की उपस्थिति रही।प्रशिक्षण के दौरान बैंक के चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री नीतीश गुप्ता ने पैक्स से संबंधित आयकर, जीएसटी एवं टीडीएस की जटिलताओं एवं आवश्यक प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बी-पैक्स प्रबंधकों को वित्तीय अनुशासन, कर अनुपालन एवं लेखा पारदर्शिता के महत्व को समझाया।सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव के प्राचार्य श्री शिरीष पुरोहित ने मध्यप्रदेश एवं केंद्र सरकार की सहकारिता नीति की विस्तृत जानकारी देते हुए सहकारी संस्थाओं की भूमिका, दायित्व एवं भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है।कार्यक्रम में श्योपुर जिले के 53 बी-पैक्स प्रबंधकों सहित सहकारिता विभाग एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारीगण उपस्थित रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल आयोजन में श्री खूबचंद सेन का सहयोग सराहनीय रहा।

विकसित भारत का कृषि मॉडल : गौ-आधारित प्राकृतिक खेती और स्वस्थ जीवन

भोपाल :प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज विकास के उस मार्ग पर अग्रसर है, जहाँ आर्थिक प्रगति के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सांस्कृतिक मूल्यों को समान महत्व दिया जा रहा है। इसी समग्र दृष्टि के अंतर्गत भारतीय कृषि को भी एक नए युग की ओर ले जाया जा रहा है। कृषि सदियों से हमारी सभ्यता की रीढ़ रही है। आधुनिक युग में रासायनिक उर्वरकों और सिंथेटिक कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भरता ने खेती की लागत बढ़ाने के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरता, उसकी जलधारण क्षमता और दीर्घकालिक स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। परिणामस्वरूप, हमारे भोजन की गुणवत्ता और नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि भारत की समस्याओं का समाधान हमारी अपनी परंपराओं और ज्ञान प्रणाली में निहित है। इसी विचार से प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन मिल रहा है, जो भारतीय कृषि की मूल आत्मा से जुड़ी हुई है। आज आवश्यकता इस बात की है कि कृषि को केवल उत्पादन के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, स्थिरता और आत्मनिर्भरता के व्यापक संदर्भ में देखा जाए।

भारत की पारंपरिक कृषि व्यवस्था सह-अस्तित्व और संतुलन पर आधारित रही है, जिसमें गौमाता की भूमिका केंद्रीय रही है। गौ केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि उत्पादकता और पोषण सुरक्षा का आधार रही हैं। हमारे पूर्वज जानते थे कि गौवंश का संरक्षण सीधे मिट्टी के स्वास्थ्य से जुड़ा है। गोबर और गोमूत्र से भूमि को पोषण मिलता है, सूक्ष्म जीव सक्रिय होते हैं और मिट्टी पुनः जीवंत होती है। स्वस्थ मिट्टी से प्राप्त अन्न अधिक पौष्टिक, सुरक्षित और मानव शरीर के अनुकूल होता है।

प्राकृतिक खेती कृषि तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने की पद्धति

प्रधानमंत्री मोदी जी की दृष्टि में प्राकृतिक खेती केवल एक कृषि तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने की भारतीय पद्धति है। वे इसे किसानों की लागत घटाने, आय बढ़ाने और उन्हें बाहरी निर्भरता से मुक्त करने का सशक्त माध्यम मानते हैं। साथ ही, यह देशवासियों को रसायन-मुक्त, विषरहित भोजन उपलब्ध कराने का मार्ग है। यही कारण है कि प्राकृतिक खेती को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ा

गया है।

प्राकृतिक खेती की कार्यप्रणाली सरल, स्वदेशी और प्रभावशाली है। इसमें गौशालाओं को केवल संरक्षण केंद्र नहीं, बल्कि कृषि आदानों के उत्पादन के आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। गोबर और गोमूत्र से तैयार जीवामृत, बीजामृत और पंचगव्य जैसे प्राकृतिक इनपुट मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करते हैं और भूमि की उर्वरता को दीर्घकालिक रूप से बढ़ाते हैं। पलवार (मल्चिंग) जैसी तकनीकें मिट्टी की नमी बनाए रखती हैं, जल संरक्षण में सहायक होती हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से फसलों की रक्षा करती हैं। इन उपायों से खेती की लागत में उल्लेखनीय कमी आती है, जिससे शून्य बजट प्राकृतिक खेती का लक्ष्य व्यवहारिक रूप से संभव होता है।

सहकारिता से समृद्धि और संस्थागत शक्ति

प्राकृतिक खेती को जन-आंदोलन बनाने में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके विजन 'सहकारिता से समृद्धि' के तहत, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को संगठित किया जा रहा है एवं किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को सशक्त बनाया जा रहा है ताकि छोटे किसानों को न केवल सस्ती दरों पर प्राकृतिक खाद-बीज मिल सकें, बल्कि उनके विषमुक्त उत्पादों को उचित बाजार और लाभकारी मूल्य भी प्राप्त हो सके। गौ-आधारित प्राकृतिक खेती और सहकारिता का मेल ही ग्रामीण समृद्धि का नया मार्ग है।

प्राकृतिक खेती का महत्व केवल खेत तक सीमित नहीं है; इसका सीधा संबंध मानव स्वास्थ्य और जीवनशैली से है। आज जीवनशैली से जुड़ी बीमारियाँ तेजी से बढ़ रही हैं, जिनका एक बड़ा कारण रासायनिक अवशेषों से युक्त भोजन है। प्राकृतिक खेती से प्राप्त शुद्ध और विषमुक्त अन्न पाचन तंत्र को सुदृढ़ करता है, रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और दीर्घकालिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है।प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा योग और आयुष को वैश्विक पहचान दिलाना इसी समग्र स्वास्थ्य दृष्टि का हिस्सा है। योग, प्राणायाम और संतुलित दिनचर्या तभी पूर्ण लाभ देती है जब भोजन भी शुद्ध और प्राकृतिक हो। प्राकृतिक खेती, स्वस्थ भोजन और योग—तीनों मिलकर स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करते हैं।

प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का व्यावहारिक मंत्र—'एक एकड़, एक मौसम'—किसानों के लिए प्रेरणास्रोत है। छोटे स्तर पर प्रयोग कर किसान बिना जोखिम उठाए परिणाम देख सकता है और फिर धीरे-धीरे विस्तार कर सकता है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन, आदानों की उपलब्धता और बाजार से जोड़ने के लिए मजबूत संस्थागत समर्थन दिया जा रहा है। किसान उत्पादक संगठन (FPOs) इस दिशा में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को सामूहिक शक्ति प्राप्त हो रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि महिला किसान इस परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

इस संपूर्ण प्रयास में गौ-सेवा का स्थान केंद्रीय है। गौवंश का संरक्षण और संवर्धन केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण रोजगार और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी की दृष्टि में गौ-आधारित प्राकृतिक खेती ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने और सतत विकास सुनिश्चित करने का एक प्रभावी माध्यम है। मध्यप्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्री मोदी की इस दूरदर्शी सोच को धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य में प्राकृतिक खेती, गौ-संवर्धन और किसान कल्याण को समन्वित रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारा लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि मिट्टी, किसान और उपभोक्ता—तीनों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

गौ-आधारित प्राकृतिक खेती, भारतीय जीवनदृष्टि का पुनर्जागरण

गौ-आधारित प्राकृतिक खेती केवल कृषि सुधार की पहल नहीं, बल्कि भारतीय जीवनदृष्टि का पुनर्जागरण है। गौमाता और मिट्टी की रक्षा के अपने सांस्कृतिक दायित्व को निभाते हुए, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ भोजन, संतुलित जीवनशैली और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। यही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित, आत्मनिर्भर और स्वस्थ भारत के स्वप्न को साकार करने का सशक्त मार्ग है।

• श्री राजेन्द्र शुक्ल

आयुष्मान सहकार योजना : सहकारी क्षेत्र के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को बल

नई दिल्ली, सहकारिता मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा संचालित आयुष्मान सहकार योजनादेश में सहकारी समितियों के माध्यम से स्वास्थ्य अवसंरचना को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभर रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की।

मंत्री ने बताया कि एनसीडीसी ने इस योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017के उद्देश्यों के अनुरूप अधिसूचित किया है, ताकि देश की स्वास्थ्य प्रणाली को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा सके। योजना का उद्देश्य सहकारी समितियों के माध्यम से किफायती, सुलभ और समग्र स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना है, विशेषकर ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में।

स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास पर विशेष जोर

आयुष्मान सहकार योजना के अंतर्गत अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, आयुष संस्थानों, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेजों, फार्मेसी संस्थानों तथा स्वास्थ्य शिक्षा केंद्रों के निर्माण, विस्तार, आधुनिकीकरण और नवीनीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त योग एवं वेलनेस सेंटर, ट्रॉमा सेंटर, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, ब्लड बैंक, प्रयोगशाला एवं नैदानिक सेवाएं, मोबाइल क्लिनिक, मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं तथा वृद्धजन स्वास्थ्य सेवाएं भी योजना के दायरे में शामिल हैं।

योजना के तहत आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी सहित पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साथ ही टेलीमेडिसिन, डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली तथा स्वास्थ्य बीमा से संबंधित गतिविधियों को भी शामिल किया गया है, जिससे आधुनिक तकनीक आधारित स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो सके।

पात्रता एवं वित्तीय सहायता

देश में किसी भी राज्य या बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत वह सहकारी समिति, जिसकी उपविधियों में अस्पताल या स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रावधान हो, योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है। एनसीडीसी परियोजना के विस्तृत तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन के पश्चात सावधि ऋण या निवेश ऋण के रूप में सहायता स्वीकृत करता है।

ऋण की अवधि अधिकतम 8 वर्ष तक निर्धारित है, जिसमें 1 से 2 वर्ष का मोराटोरियम शामिल है। महिला सदस्यों के बहुमत वाली सहकारी समितियों को समय पर पुनर्भुगतान की स्थिति में लागू ब्याज दर से 1 प्रतिशत की अतिरिक्त रियायत दी जाती है, जिससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलता है।

वित्त पोषण का स्वरूप

योजना के अंतर्गत वित्त पोषण दो माध्यमों से किया जाता है—

1. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से
2. प्रत्यक्ष रूप से पात्र सहकारी समितियों को

अवसंरचना निर्माण हेतु परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है, जबकि शेष राशि समिति द्वारा वहन की जाती है। कुछ मॉडलों में राज्य सरकार की शेयर पूंजी भागीदारी भी शामिल है। आवश्यकतानुसार मार्जिन मनी एवं कार्यशील पूंजी ऋण भी प्रदान किया जाता है। परियोजना की आवश्यकता के अनुसार सुरक्षा/प्रतिभूति का प्रावधान किया जाता है, जिसमें संपत्ति बंधक, बैंक गारंटी या सरकारी गारंटी शामिल हो सकती है।

सहकारी मॉडल को मिलेगा बल

सरकार का मानना है कि आयुष्मान सहकार योजना से सहकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक विस्तार होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा सामुदायिक स्वामित्व आधारित स्वास्थ्य मॉडल को मजबूती मिलेगी।

यह योजना सहकारिता के माध्यम से "सभी के लिए सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवा" के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

युवा सहकार योजना के तहत 432.92 लाख रुपये का संवितरण, 27 हजार से अधिक सदस्य लाभान्वित

नई दिल्ली। सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरतराष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा संचालित "युवा सहकार – सहकारी उद्यम सहायता एवं नवाचार योजना" के अंतर्गत देशभर में युवाओं को सहकारी उद्यमिता से जोड़ने के उद्देश्य से अब तक 432.92 लाख रुपये की राशि संवितरित की जा चुकी है। इस योजना से 31 दिसंबर 2025 तक कुल 27,174 लाभार्थी सदस्य लाभान्वित हुए हैं।

यह योजना स्टार्ट-अप इंडिया एवं स्टैंड-अप इंडिया कार्यक्रमों की भावना के अनुरूप लागू की गई है, जिसका उद्देश्य नवगठित सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना तथा नवाचार आधारित उद्यमों को बढ़ावा देना है। योजना के अंतर्गत कम से कम तीन माह से कार्यरत सहकारी समितियों को आसान वित्तपोषण उपलब्ध कराया जाता है तथा सावधि ऋण पर 2 प्रतिशत ब्याज छूट प्रदान की जाती है।

"समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश" के लक्ष्य को किया जा रहा है साकार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

बजट में किसानों का रखा गया है पूरा ध्यान

राज्य सरकार की प्राथमिकता में है किसान कल्याण

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वर्ष-2026 प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश में विविध जलवायु जोन, पर्याप्त सिंचाई सुविधा, बेहतर रोड नेटवर्क उपलब्ध है। इसका लाभ लेकर किसानों की आय में वृद्धि और कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन के उद्देश्य आधारित गतिविधियां संचालित कर प्रदेश में "समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश" के लक्ष्य को साकार किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में किसान कल्याण के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था की गई है, जिससे किसानों को आत्म-निर्भर बनाने एवं कृषि आय को दोगुना करने में मदद मिलेगी। कृषि एवं किसानों से संबंधित योजनाओं में भी बजट की कोई कमी नहीं रखी गई। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट से किसान कल्याण के कार्यों को गति प्रदान की जाएगी। इससे किसान कल्याण वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के बजट 2026-27 के अंतर्गत कृषि के साथ जल प्रदाय योजनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये। जल परियोजनाओं के माध्यम से हर किसान के खेत तक सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जायेगा। प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई के रकबे में निरंतर बढोत्तरी हो रही है। शीघ्र ही प्रदेश में सिंचाई का रकबा 100 लाख हैक्टेयर हो जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष में किसान कल्याण के लिये जो प्रावधान किये गये हैं, उसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में 343 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री जन मन कार्यक्रम अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य के अन्तर्गत 96 करोड़ रुपये, अटल कृषि ज्योति योजना के अन्तर्गत 13914 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत 5501 करोड़ रुपये, भावांतर/फ्लेट रेट योजना के अन्तर्गत 600 करोड़ रुपये, समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान के अन्तर्गत 150 करोड़ रुपये और परंपरागत कृषि विकास योजना में 53 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है।

बजट में म.प्र.विद्युत मंडल द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों और एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत 5276 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 1299 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के अन्तर्गत 1000 करोड़ रुपये, अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला) में 525 करोड़ रुपये, पर ड्रॉप मोर क्रॉप में 450 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना-2024 के अन्तर्गत 385 करोड़ रुपये, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन (60:40 प्रतिशत शेयरिंग पैटर्न) के अन्तर्गत 335 करोड़ रुपये, नेशनल मिशन ऑन ईडीबल ऑइल एण्ड ऑइलसीड के अन्तर्गत 266 करोड़ रुपये, सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन (एस. एम.ए.एम.) के अन्तर्गत 243 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 226 करोड़ रुपये, फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी में 150 करोड़ रुपये, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के अन्तर्गत 142 करोड़ रुपये, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा) के अन्तर्गत 126 करोड़ रुपये, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को ब्लॉक ग्रांट के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपये, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन (100 प्रतिशत केन्द्रांश) के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपये, कृषि क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता अनुसंधान के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपये, सहायक भूमि संरक्षण कार्यालय के अमले की स्थापना के लिये 59 करोड़ रुपये, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय ग्वालियर को ब्लाक ग्रांट के अंतर्गत 58 करोड़ रूपये और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय की स्ववित्तीय योजना में 57 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है।

वर्षभर चलेंगी किसान कल्याण गतिविधियां

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष-2026 में किसान कल्याण संबंधी गतिविधियों का वार्षिक कैलेंडर के अनुसार संचालन प्रारंभ किया जा चुका है। इसमें किसान सम्मेलन, जन-जागरूकता की गतिविधियां, कृषि रथ के माध्यम से किसानों तक शासन की योजनाओं की जानकारी, कृषि संबंधी सलाह, किसानों की समस्याओं का निराकरण सहित कृषि योजनाओं को किसानों के खेत तक पहुंचाने के लिए मैदानी अमला लगातार कार्य कर रहा है। किसानों की आय में वृद्धि और रोजगार सृजन के लिए कृषि यंत्रीकरण, कृषकों के क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण और भ्रमण कार्यक्रम, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, उद्यानिकी विस्तार, एफपीओ निर्माण आधारित गतिविधियों को प्रमुखता दी जा रही है। इसके साथ ही सस्ती ब्याज दरों पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए माइक्रो इरीगेशन, बेहतर बाजार नेटवर्क, किसानों को उनके उत्पाद का वाजिब मूल्य दिलवाने, पशुपालन तथा मछली पालन जैसी गतिविधियों के लिए कृषकों को प्रेरित किया जा रहा है।

विदिशा में हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन

विदिशा। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित द्वारा कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकारके सहयोग से आयोजित हस्तशिल्प प्रदर्शनी–2026का शुभारंभ रवीन्द्रनाथ टैगौर भवन में सम्पन्न हुआ।कार्यक्रम की अध्यक्षता कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अंशुल गुप्ता की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मुकेश टंडन उपस्थित रहे। प्रदर्शनी का आयोजन 10 फरवरी से 19 फरवरी 2026 तक किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के उत्कृष्ट हस्तशिल्प उत्पाद प्रदर्शित एवं विक्रय हेतु उपलब्ध हैं। मुख्य अतिथि विधायक मुकेश टंडन ने कहा कि हस्तशिल्प भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ऐसे आयोजनों से कारीगरों को सीधा बाजार मिलता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्राप्त होता है। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता (IAS) ने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनी कला संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण एवं शहरी कारीगरों को प्रत्यक्ष विपणन का सशक्त मंच प्रदान करती है। उन्होंने प्रदर्शनी में लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर संबंधित कारीगरों एवं उनके राज्यों के नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में श्री नर सिंह सैनी (सहायक निदेशक, हस्तशिल्प सेवा केंद्र भोपाल), श्री गणेश प्रसाद मांझी (प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र भोपाल), श्री संतोष येडे (राज्य सहकारी संघ, भोपाल) तथा श्री धर्मेन्द्र राजपूत (सचिव, सीड संस्था भोपाल) की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन संतोष येडे द्वारा किया गया तथा आभार प्रदर्शन श्री गणेश प्रसाद मांझी ने किया। प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक एवं आधुनिक हस्तशिल्प कलाकृतियाँ आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। प्रमुख उत्पादों में—

- जूट बैग एवं जरी वर्क
- एम्ब्रॉयडरी एवं बाँस शिल्प उत्पाद
- कलमकारी
- लटकन मीनाकारी
- दिल्ली एवं आगरा की ज्वेलरी
- कुशिया वर्क
- पेंटिंग वर्क
- क्ले एवं क्रॉकरी
- टलाश वर्क
- मध्यप्रदेश की दरी, बेडशीट, बीड वर्क, तोरण आर्ट, लेदर आर्ट, खजूर शिल्प
- लकड़ी के खिलौने

प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में शहरवासी एवं आसपास के क्षेत्रों के लोग पहुँचकर हस्तनिर्मित उत्पादों की खरीदारी की गई। आयोजन का उद्देश्य कारीगरों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ना, उनकी आय में वृद्धि करना तथा 'वोकल फॉर लोकल' की भावना को सशक्त बनाना है।

(पृष्ठ 1 का शेष)

गांधीनगर में सहकारिता मंथन : विकसित भारत 2047....

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ मंथन बैठक की

मोदी सरकार वैज्ञानिक तरीके से देश के सहकारिता क्षेत्र को आगे बढ़ा रही है जिसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं

'मंथन बैठक' का उद्देश्य 2047 में भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने में सहकारिता की भूमिका को और भी बढ़ाना है

सिर्फ अर्थतंत्र के आंकड़े एक पूर्ण विकसित देश की कल्पना नहीं होते, एक पूर्ण विकसित भारत का अर्थ है कि 140 करोड़ लोग सम्मान के साथ जी सकें, ऐसी व्यवस्था बनाना

राज्यों को अन्न भण्डारण, सर्कुलैरिटी और 'कोऑपरेशन अमोंग्स कोऑपरेटिव्स' पर बल देना चाहिए

उत्पादन की तुलना में देश में अनाज भंडारण को आने वाले दिनों में तीन गुना बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसमें से 2 गुना सहकारिता क्षेत्र को करना चाहिए

देशभर में सर्वसपर्शीय भंडारण की व्यवस्था सिर्फ सहकारिता क्षेत्र ही कर सकता है

सभी राज्य बंद पड़ी चीनी मिलों को शुरू करने के लिए प्रयास करें

Cooperation Amongst Cooperatives ('सहकारिता में सहकार') के आग्रह के तहत सभी सहकारी संस्थाओं के बैंक खाते ज़िला सहकारी बैंकों में होने चाहिए

केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में कोऑपरेटिव बैंकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए

भारत टैक्सी की सर्विस बहुत कम समय में हर म्यूनिस्पियल कॉर्पोरेशन वाले शहर तक पहुंच जाएगी

साथ ही, उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन और सहकारिता की बेस्ट प्रैक्टिसेज एवं अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष पर रिपोर्ट का विमोचन भी किया। इस अवसर पर केन्द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर, श्री मुरलीधर मोहोल और सचिव, सहकारिता मंत्रालय सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। आने वाले पच्चीस साल तक विश्व की अर्थतंत्र की दिशा निर्धारित करने वाले क्षेत्र में हम आज पायोनियर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मंथन बैठक का आयोजन इसीलिए हो रहा है कि हम 2047 में भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक पूर्ण विकसित भारत का अर्थ है कि 140 करोड़ लोग सम्मान के साथ जी सकें, ऐसी व्यवस्था करना। उन्होंने कहा कि भारत के हर परिवार, हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का माध्यम सिर्फ और सिर्फ सहकारिता ही बन सकती है।

श्री अमित शाह ने कहा कि कृषि, ग्रामीण विकास और पशुपालन क्षेत्रों को जब तक हम मज़बूत नही करते हैं तब तक देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम सभी मनोयोग के साथइस प्रयास को सफल बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने एक वैज्ञानिक तरीके से विगत चार साल से देश के सहकारिता क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और उसके परिणाम अब दिखने लगे हैं।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने सहकारिता की स्वीकृति को बढ़ाने वाली बातों पर बल दिया। इनमें अन्न भंडारण की व्यवस्था पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लगभग तीन गुना बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसमें से 2 गुना सहकारिता क्षेत्र को करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सभी की जिम्मेवारी है, केवल PACS पर न छोड़ें, तहसील की कोआपरेटिव डेयरियां, स्टेट लेवल के मार्केटिंग फेडरेशन, डिस्टिक कोऑपरेटिव बैंक फाइनेंस कराकर, डिस्ट्रिक के सेल्स-परचेज यूनियन, सबको बड़े-बड़े गोदाम बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका एक और पहलू है कि हमारा 70 प्रतिशत अनाज उत्तर भारत से - पंजाब और हरियाणा में में खरीदा जाता है, मेरा कहना है कि यहीं से अनाज की खरीदी होगी, यहीं स्टोर होगा और यहीं से वितरित हो जाएगा तो हम ट्रांसपोर्टेशन की लगत कम से कम 30-40 प्रतिशत बचा सकतें हैं , पूरे देश भर में भण्डारण की व्यवस्था सरेखित और सर्वस्पर्शीय भंडारण होनी चाहिए।

श्री अमित शाह ने कहा कि सभी राज्य बंद पड़ी चीनी मिलों को शुरू करने के लिए प्रयास करें। उन्होंने कहा की अभी हमने राष्ट्रीय स्तर पर एक कोऑपरेटिव बनायी है। जो शुगर मिल की माली हालत ठीक नहीं है, वो अलग से उसमें से खाद बनाना है, वह प्रक्रिया वो पूरी करें। उसमें से गैस बनाना है, वह प्रक्रिया वह पूरी करें। तो आने वाले दिनों में शुगर मिल में से अलग-अलग प्रकार के ग्यारह उत्पाद बन सके, इस प्रकार का सफल एक्पेरिमेंट हो चुका है। उन्होंने कहा कि मैं मार्च के पहले हफ्ते में इस कार्यरचना को अंतिम रूप देने वाला हूँ और जो शुगर मिल सिर्फ शुगर बना रही है वहाँ पर हमारी राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव बाकी का सारा अटैचमेंट कर देगी। इसके लिए भी राज्यों ने अपने यहाँ लचीली पॉलिसी बनानी पड़ेगी।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि हर राज्य अपने डेयरी विभाग और सहकारिता विभाग की टीमों को बनासकांठा डेयरी को देखने के लिए भेजें। उन्होंने कहा कि बनासकांठा डेयरी ने कई प्रकार के काम किए हैं जिससे सभी राज्यों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा।

'सहकारिता में सहकार' (Cooperation Amongst Cooperatives) पर बल देते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि सभी सहकारी संस्थाओं के बैंक खाते ज़िला सहकारी बैंकों में होने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने निर्णय किया है कि भारत सरकार की सभी योजनाओं में कोऑपरेटिव बैंक को नोडल एजेंसी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को प्रयास करना चाहिए कि सारे प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा उसी में चला जाए, वृद्ध पेंशन का पैसा उसी में चला जाए, सारी योजनाओं को हम इसके अंदर अब डाल सकते हैं।

श्री अमित शाह ने आने वाले दिनों में जो खुदरा मजदूरी करने वाले लोग हैं, कारपेंटर्स हैं, प्लंबर है, इलेक्ट्रीशियन हैं, जिनका शोषण होता है, इनकी भी कोऑपरेटिव बनाकर, उनको सम्मानजनक राशि मिले, इसके लिए भी कोऑपरेटिव बनाएंगे, ढ़ेर सारे सेक्टरों में हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस देश की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी सहकारिता के साथ जुड़ जाएगी।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा भारत टैक्सी आने वाले कुछ वर्षों में हर एक म्यनिशिपल कॉरपोरेशन तक पहुंच जाएगी। 3 लाख से अधिक चालक इससे जुड़े चुके हैं। इससे चालकों और यात्रियों दोनों को लाभ मिलने वाला है।

इससे पूर्व 'मंथन बैठक' में विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से सहकारिता से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर की गयी पहलों की प्रगति, उपलब्धियों तथा भविष्य की कार्ययोजना का अवलोकन एवं मूल्यांकन किया गया। इन प्रस्तुतियों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए 2 लाख नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS), डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा हुयी। इसके साथ-साथ 'मंथन बैठक' में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के अंतर्गत देशभर में आधुनिक गोदामों के नेटवर्क के विस्तार पर बल दिया गया, जिससे किसानों को बेहतर भंडारण, मूल्य स्थिरता और बाज़ार तक सुगम पहुंच सुनिश्चित हो सके।

मंथन बैठक में राष्ट्रीय स्तर की नई सहकारी संस्थाओं, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड (NCEL), नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड (NCOL) तथा भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) — में राज्यों की सक्रिय भागीदारी और निर्यात, जैविक खेती और गुणवत्तापूर्ण बीज आपूर्ति के क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया गया। इसके साथ ही, राज्यों के सहकारिता कानूनों में समयानुकूल सुधार, 97वें संविधान संशोधन के अनुरूप मॉडल अधिनियम को अपनाने, सहकारी गन्ना मिलों की आर्थिक व्यवहार्यता तथा लाभ बढ़ाने, डेयरी क्षेत्र में सर्कुलारिटी एवं सस्टेनेबिलिटी को प्रोत्साहन देने, तथा अमूल और एनडीडीबी के सहयोग से नई डेयरी सहकारी समितियों के गठन जैसे विषयों पर भी चर्चा की गयी।

बैठक में दलहन एवं मक्का उत्पादन को बढ़ावा देने, सहकारी बैंकों से जुड़ी चुनौतियों के समाधान, साझा सेवा इकाई (SSE) एवं अंब्रेला संरचना को सुदृढ़ करने, सदस्यता विस्तार एवं जागरूकता अभियान को मजबूत बनाने, और प्रभावी मीडिया-संचार रणनीति विकसित करने जैसे जैसे विषयों पर भी विस्तार से प्रस्तुति एवं चर्चा की गयी। इसके अतिरिक्त, PACS एवं RCS कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के उपयोग, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर भी राज्यों से अपेक्षाओं को साझा किया गया।

सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु 40% राशि एफडी में रखने की सलाह

उज्जैन में दो दिवसीय कौशल उन्नयन एवं नेतृत्व विकास प्रशिक्षण संपन्न

भोपाल, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल एवं जिला सहकारी संघ मर्यादित, उज्जैन के संयुक्त तत्वावधान में जिले की नागरिक सहकारी बैंकों एवं साख सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष, संचालक एवं प्रबंधकों के लिए दो दिवसीय कौशल उन्नयन एवं नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों एवं विशेषज्ञों की गरिमामयी उपस्थिति रही। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सहकारिता उपायुक्त श्री के. पाटनकर के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर सहायक आयुक्त एवं अंकेक्षण अधिकारी श्री संजय कौशल, राज्य संघ इंदौर प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य श्री दिलीप मरमट, ऑडिट ऑफिसर श्री संजू शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री अनुभव प्रधान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

अतिथियों ने सहकारिता संस्थाओं को आधुनिक प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन एवं पारदर्शिता के साथ संचालित करने पर बल दिया।

मुख्य अतिथि सहकारिता उपायुक्त श्री के. पाटनकर ने अपने संबोधन में संस्थाओं की वित्तीय मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि—

- संस्थाएँ अपनी कुल जमा पूंजी का अधिकतम 60% ही ऋण वितरण में लगाएं।
- शेष 40% राशि को फिक्स डिपॉजिट (FD)के रूप में सुरक्षित रखें।
- बचत खाते एवं एफडी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक या अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक में ही रखे जाएं।

उन्होंने कहा कि विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में यही सुरक्षित निधि संस्थाओं को स्थिरता प्रदान करेगी और सदस्यों का विश्वास बनाए रखेगी।

प्राचार्य श्री दिलीप मरमट द्वारा मध्यप्रदेश शासन एवं केंद्र सरकार की सहकारिता नीति के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी गई। उन्होंने संस्थाओं को डिजिटल प्रणाली, नियमित ऑडिट एवं पारदर्शी लेखांकन अपनाने की सलाह दी।सहायक आयुक्त एवं अंकेक्षण अधिकारी श्री संजय कौशल तथा ऑडिट ऑफिसर श्री संजू शर्मा ने लेखा परीक्षण, वैधानिक अनुपालन एवं वित्तीय उत्तरदायित्व पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया।चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री अनुभव प्रधान ने आयकर, जीएसटी एवं अन्य कर प्रावधानों की जानकारी देते हुए संस्थाओं को समयबद्ध रिटर्न एवं अभिलेख संधारण की आवश्यकता बताई।

कार्यक्रम में नेतृत्व क्षमता, संस्थागत विकास, नियमित समीक्षा, कंप्यूटरीकरण एवं जीएसटी अनुपालन जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि सहकारी संस्थाओं को केवल वित्तीय लेन-देन तक सीमित न रखकर उन्हें बहुउद्देश्यीय सेवा केंद्र के रूप में विकसित करना समय की आवश्यकता है।प्रशिक्षण में उज्जैन जिले की नागरिक सहकारी बैंकों एवं साख सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष, संचालक, प्रबंधक एवं संबंधित अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम को उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे उन्हें संस्थागत प्रबंधन एवं वित्तीय सुदृढ़ीकरण की दिशा में व्यावहारिक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

नाबार्ड प्रायोजित सॉफ्टकॉब प्रशिक्षण में प्रबंधकों को कर, सीएससी एवं सहकारिता नीतियों की दी गई जानकारी

भोपाल। नाबार्ड के सहयोग से तथा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, नौगांव के माध्यम से एक दिवसीय सॉफ्टकॉब प्रशिक्षण का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र, मुरैना के सभागृह में किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (M-पैक्स) के प्रबंधकों एवं कार्मिकों को वित्तीयकर एवं डिजिटल सेवाओं संबंधी जानकारी प्रदान कर उनकी कार्यक्षमता को सुदृढ़ करना रहा।

कार्यक्रम का शुभारंभ चंबल संभाग की संयुक्त आयुक्त सहकारिता सुश्री अनिता उइके के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर उप आयुक्त सहकारिता, मुरैना श्रीमती अनुभा सूद तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मुरैना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कमल मैकाश्रे विशेष रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया तथा सहकारी संस्थाओं की मजबूती के लिए सतत प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रशिक्षण सत्र में बैंक के चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री राहुल गुप्ता ने बी-पैक्स से संबंधित आयकर, वस्तु एवं सेवा कर तथा स्रोत पर कर कटौती की बारीकियों को सरल एवं व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझाया। उन्होंने समय पर कर भुगतान, विवरणी प्रस्तुत करने की प्रक्रिया तथा अभिलेख संधारण की पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया।

जिला प्रबंधक, Common Services Centres (सीएससी) मुरैना श्री राघव गुप्ता ने बी-पैक्स के माध्यम से सीएससी सेवाओं के संचालन, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार तथा ग्रामीण स्तर पर ई-गवर्नेंस सेवाओं की उपलब्धता पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बी-पैक्स को ग्रामीण डिजिटल सेवा केंद्र के रूप में विकसित कर अतिरिक्त आय के स्रोत सृजित किए जा सकते हैं।इसी क्रम में इफको मुरैना के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री बी.एस. जादौन ने इफको के उर्वरक उत्पादों, नैनो उर्वरक, बीमा एवं अन्य सहकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की तथा समितियों को कृषि आदान-प्रदान केंद्र के रूप में सशक्त बनाने का आह्वान किया।

सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, नौगांव के प्राचार्य श्री शिरीष पुरोहित ने मध्यप्रदेश शासन एवं भारत सरकार की सहकारिता नीतियों, बी-पैक्स के आधुनिकीकरण तथा बहुउद्देश्यीय मॉडल के विस्तार पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सुदृढ़ प्रबंधन, पारदर्शी लेखांकन एवं व्यवसाय विविधीकरण के माध्यम से M-पैक्स को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र बनाया जा सकता है।कार्यक्रम में मुरैना जिले के बड़ी संख्या में बी-पैक्स प्रबंधक, सहकारिता विभाग मुरैना एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मुरैना के अधिकारीगण उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के दौरान प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया।कार्यक्रम के सफल संचालन में श्री खूबचंद सेन का सहयोग विशेष रूप से सराहनीय रहा।

मत्स्य सहकारी समितियों का नेतृत्व विकास एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

भोपाल, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल एवं जिला सहकारी संघ मर्यादित, गुनाके संयुक्त तत्वावधान में मत्स्य सहकारी समितियों के सदस्यों, अध्यक्षों, उपाध्यक्षों एवं कर्मचारियों के लिए दो दिवसीय कौशल उन्नयन एवं नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमका आयोजन 21 एवं 22 फरवरी को किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मत्स्य सहकारी समितियों को सशक्त, संगठित एवं आधुनिक तकनीकों से जोड़ते हुए उनकी कार्यक्षमता और नेतृत्व क्षमता का विकास करना रहा। दो दिवसीय प्रशिक्षण में विशेषज्ञों द्वारा निम्न प्रमुख विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई—

- मत्स्य संपदा योजना एवं शासकीय प्रावधान
- मत्स्य क्रेडिट कार्ड की प्रक्रिया एवं लाभ

- सदस्यों के अधिकार एवं दायित्व
- नवीन मॉडल बायलॉज (उपनियम) की जानकारी
- मत्स्य पालन में नई तकनीक एवं आधुनिक संसाधन
- मत्स्य क्षेत्र में आय वृद्धि के नए अवसर

कार्यक्रम में भोपाल से सहकारी प्रशिक्षक श्री बाबूलाल कुशवाह ने सहकारिता के मूल सिद्धांतों एवं प्रभावी प्रबंधन पर मार्गदर्शन दिया। सहकारिता विभाग गुना से श्री विजय गुप्ता ने विभागीय योजनाओं एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया की जानकारी दी। सहकारी निरीक्षक श्री शिवम सिंघल ने समितियों के विधिक एवं प्रशासनिक दायित्वों पर प्रकाश डाला। जिला सहकारी संघ मर्यादित गुना के प्रबंधक श्री सत्येन्द्र शर्मा सहित अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

नाबार्ड की SOFTCOB योजना के अंतर्गत 6 दिवसीय बी-पैक्स प्रबंधक प्रशिक्षण

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल (म.प्र.) द्वारा नवनियुक्त M-पैक्स समिति प्रबंधकों के लिए 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। यह प्रशिक्षण नाबार्ड (NABARD) की SOFTCOB योजना के अंतर्गत आयोजित किया गया। प्रशिक्षण दिनांक 09 फरवरी 2026 से 14 फरवरी 2026 तथा 16 फरवरी 2026 से 21 फरवरी 2026 तक आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए समिति प्रबंधकों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं पंजीयन के साथ हुआ। उद्घाटन सत्र में सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी, उत्तरदायी एवं व्यवसायिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाने पर विशेष बल दिया गया। नाबार्ड की SOFTCOB योजना का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की क्षमता वृद्धि कर संस्थाओं को आत्मनिर्भर एवं प्रतिस्पर्धी बनाना है।

प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों द्वारा निम्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत एवं व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया—

राष्ट्रीय सहकारी नीति एवं राज्य सहकारिता नीति

सहकारिता क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार, विधिक प्रावधान, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सदस्य-केन्द्रित संचालन प्रणाली पर विस्तार से चर्चा की गई।

M-पैक्स की नवीन आदर्श उपविधियाँ

नवीन मॉडल उपविधियों के अंतर्गत समिति की संरचना, सदस्यता, शेयर पूंजी प्रबंधन, प्रबंध समिति की भूमिका, बैठक संचालन एवं वैधानिक दायित्वों की जानकारी प्रदान की गई।

कृषि ऋण वितरण एवं ऋण प्रबंधन

ऋण स्वीकृति प्रक्रिया, पात्रता निर्धारण, दस्तावेजीकरण, एनपीए प्रबंधन, एकमुश्त समझौता योजना एवं लोक अदालत प्रक्रिया पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

लेखांकन प्रणाली एवं वित्तीय प्रबंधन

समरूप लेखांकन प्रणाली, वार्षिक वित्तीय पत्रक, बैलेंस शीट, लाभ-हानि खाता, नकदी पुस्तक संधारण, रीकंसिलिएशन एवं सीआरएआर की गणना जैसे विषयों पर विशेष सत्र आयोजित किए गए।

प्रदेश एवं केंद्र की सहकारिता नीतियों पर विशेष सत्र

प्रशिक्षण के दौरान प्रदेश की सहकारिता नीति एवं केंद्र सरकार की सहकारिता नीतिके प्रमुख प्रावधानों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

- राज्य स्तर पर सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, पारदर्शिता एवं व्यवसाय विविधीकरण के उपायों पर प्रकाश डाला गया।
- केंद्र सरकार की सहकारिता नीति के अंतर्गत बहु-राज्यीय सहकारी संरचना, डिजिटल सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भर सहकारिता मॉडल की जानकारी दी गई।
- सहकारी समितियों को बहुउद्देश्यीय सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना पर चर्चा की गई।

साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल प्रबंधन पर मार्गदर्शन

प्रशिक्षण में साइबर सुरक्षा (Cyber Security)विषय पर विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें—

- ऑनलाइन बैंकिंग एवं डिजिटल लेन-देन में सुरक्षा उपाय
- डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता के नियम
- फिशिंग, फ्रॉड एवं साइबर अपराध से बचाव के तरीके
- सुरक्षित पासवर्ड एवं डिजिटल सिस्टम प्रबंधन

पर व्यवहारिक जानकारी प्रदान की गई।

समिति निर्वाचन प्रक्रिया

सहकारी समितियों के निर्वाचन की प्रक्रिया, वैधानिक प्रावधान एवं निर्वाचन प्रणाली की चरणबद्ध जानकारी दी गई।

M-पैक्स व्यवसाय विविधीकरण

M-पैक्सकी भूमिका, सामूहिक विपणन, मूल्य संवर्धन एवं PACS व्यवसाय में विविधीकरण—जैसे कृषि उपकरण किराया केंद्र (Custom Hiring Centre),दुग्ध एवं पशुपालन गतिविधियाँ, कृषि उत्पाद का ग्रेडिंग, पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग ,पशु आहार विक्रय , आटा चक्की, मिनी राइस मिल ,मसाला प्रसंस्करण , बीज विक्रय, उपभोक्ता भंडार, जनसेवा केंद्र, कृषि उपकरण बैंक आदि—के माध्यम से आय वृद्धि की संभावनाओं पर चर्चा की गई।

अंतिम दिवस पर प्रश्नोत्तर सत्र, लिखित एवं मौखिक मूल्यांकन तथा प्रतिभागियों से फीडबैक प्राप्त किया गया। तत्पश्चात सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर यह विश्वास व्यक्त किया गया कि नाबार्ड की SOFTCOB योजना के अंतर्गत आयोजित इस प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान एवं कौशल के माध्यम से M-पैक्स प्रबंधक अपने-अपने क्षेत्रों में समितियों को सुदृढ़, पारदर्शी एवं आत्मनिर्भर संस्था के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

नाबार्ड प्रायोजित सॉफ्टकॉब प्रशिक्षण में पैक्स कार्मिकों को आयकर, टीडीएस एवं जीएसटी की दी गई जानकारी

भोपाल, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्रायोजित तथा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण योजना सॉफ्टकॉब के अंतर्गत बहुउद्देश्यीय प्राथमिक ग्रामीण समितियों हेतु आयकर, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) एवं वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधि पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन जिला सहकारी संघ मर्यादित, धार के सभागार में संपन्न हुआ। यह प्रशिक्षण धार जिले की बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के कार्मिकों के क्षमता एवं दक्षता विकास के उद्देश्य से आयोजित किया गया, जिससे वे वित्तीय एवं कर संबंधी प्रावधानों की बेहतर समझ विकसित कर सकें। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, धार की लेखा प्रबंधक सुश्री सोनिया लाड़, विपणन अधिकारी श्री सौरव सिंह समकारिया तथा स्थापना प्रभारी श्री उज्जवल वर्मा द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। प्रशिक्षण सत्र में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य श्री दिलीप मरमट ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति, राज्य सहकारिता नीति एवं पैक्स की आदर्श उपविधियों पर विस्तृत व्याख्यान दिया। आयकर, स्रोत पर कर कटौती एवं वस्तु एवं सेवा कर विधि के प्रावधानों पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं बैंक परामर्शदाता श्री अमूल राघलेकर ने व्यवहारिक उदाहरणों सहित जानकारी प्रदान की। उन्होंने कर अनुपालन, विवरणी प्रस्तुत करने की प्रक्रिया तथा लेखा पारदर्शिता के महत्व पर विशेष बल दिया। समापन सत्र में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, धार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री के.के. रायकवार द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर से प्रशिक्षक श्री सुयश शर्मा भी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों ने कर संबंधी जटिल विषयों पर प्रश्नोत्तर सत्र के माध्यम से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त किया।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।